# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 966/2021 सरोज चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2021 में याचिकार्थिया को अप्रार्थीगण के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 विषय–संस्कृत में माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में विभाग द्वारा किए गए रिशफल मण्डल आवंटन में याचिकार्थिया को पूर्व में आवंटित अजमेर मण्डल में परिवर्तन कर जोधपुर मण्डल आवंटित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खींचन, ब्लॉक–फलौदी, जिला–जोधपुर में पदस्थापित किया गया, जबकि याचिकार्थिया का स्थाई निवास नागौर में है, जो कि अजमेर मण्डल के अन्तर्गत आता है। याचिकार्थिया के कथनानुसार उसके पति भारतीय सेना में कार्यरत है एवं इस समय भारतीय सीमा पर स्थित अशांत आतंकवादी क्षेत्र राजौरी, जम्मू कश्मीर में तैनात है तथा उसके पति माता–पिता की इकलौती संतान है जिसके कारण वृद्ध सास–ससुर की देखभाल का दायित्व केवल उसी पर है तथा याचिकार्थिया के बच्चे की उम्र 1 वर्ष 6 माह है जिसकी देखभाल की भी पूर्णतः जिम्मेदारी उसकी है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों के आधार पर जोधपुर मण्डल के स्थान पर अजमेर मण्डल आवंटित कर गृह जिले नागौर में रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित एवं आयोग द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों के पूर्व में किए गए मण्डल आवंटन के सबंध में डी.बी.रिव्यू याचिका संख्या 267/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 (अन्तर्गत दायर डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 815/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा ने पारित समेकित निर्णय दिनांक 29.08.2019 अन्तर्गत एस. बी.सिविल याचिका संख्या 23680/2018 व अन्य समान 100 प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 02 04.2019) की पालना में वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में विभाग द्वारा रिशफल सम्भाग आवंटन संभागवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या तक अभ्यर्थियों के वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार किया गया है।

याचिकार्थिया सरोज चौधरी का आयोग द्वारा विषय–संस्कृत में वर्ग एवं चयन वर्ग OBCF में वरीयता क्रमांक 1824 पर चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थिया को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार 03 प्राथमिकता पर अंकित जोधपुर मण्डल आवंटित किया गया। याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में पहली प्राथमिकता पर अंकित अजमेर मण्डल में याचिकार्थिया के वर्ग एवं चयन वर्ग OBCF में अन्तिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक 1744 रहा है, जबकि याचिकार्थिया का वरीयता क्रमांक 1824 है। अतः माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में शासन के दिशा–निर्देश एवं विभागीय नीति के अनुसार ही याचिकार्थिया को नियुक्ति हेतु जोधपुर मण्डल आवंटित किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है।

याचिकार्थिया द्वारा गृह मण्डल में वरिष्ट अध्यापक (संस्कृत) के वर्तमान में पद रिक्त होने के आधार पर आवंटन की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) (पूर्व में उप निदेशक) है। अतः संयुक्त निदेशक (समस्त सम्भाग) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी मण्डलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना आयोग को प्रेषित करता है। आयोग परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर वर्गवार एवं चयन वर्गवार

अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। आयोग से वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार विभाग द्वारा मण्डल आवंटन की कार्यवाही आयोग को प्रेषित मण्डलवार वर्गवार अर्थना की सीमा तक की जाती है। जिस मण्डल में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते है, उतने ही अभ्यर्थी वर्ग एवं चयन वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते है। इस प्रकार मण्डल आवंटन के समय अथवा वर्तमान में किसी मण्डल या जिले में रिक्त पद के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापन की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा जोधपुर मण्डल के स्थान पर अजमेर मण्डल आवंटित कर गृह जिले नागौर में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नीति के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाये जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध./12813/2021 दिनांकः– 02/09/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/जोधपुर संभाग
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. याचिकार्थिया सरोज चौधरी वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत रा.उ.मा.वि., खींचन, फलोदी, जिला– जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)